न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 698/2019

1. सुखपाल सिंह पुत्र जसरकण सिंह पुत्र सौदागर सिंह उर्फ करतार सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. जगदेव सिंह पुत्र जसकरण सिंह पुत्र सौदागर सिंह उर्फ करतार सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)।
3. बलजीत कौर पत्नी जसकरण सिंह पुत्र सौदागर सिंह उर्फ करतार सिंह जाति जटसिंख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जट्सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)।

वादीगण

बनाम

1. जसकरण सिंह पुत्र सौदागर सिंह उर्फ करतार सिंह(फौत)

1/1. सुखपाल कौर पुत्री जसकरण सिंह पुत्र सौदागर सिंह उर्फ करतार सिंह पत्नी बोहड़ सिंह निवासी डंबवाली कला तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब।

2. नक्षत्र सिंह पुत्र करतार सिंह (फौत)

2/1. मनजीत कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

2/2. जसविन्द्र कौर पुत्री नक्षत्र सिंह पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

3. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री. जगनन्दनसिंह अधिवक्ता वादी

2 श्रीमति कंचन सेतिया मुंजाल प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 2/1, 2/2

3 राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक : 3.1.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीए के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि पक्षकारण हिन्दु सिख व हिन्दु ला के मिताक्षरा स्कूल से शासित है। प्रत्येक पुत्र पुंत्री का जदी जायदाद कोपार्सनरी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में जन्म से हक व अधिकार है। चक 23 केएसडी के खाता संख्या 5/15 के प0न0 76/103 मु0न0 22कि0न0 20, 21 सालम, प0न0 75/103 मु0न0 23 कि0न0 14 ता 17, 25 सालम, प0न0 75/104 मु0न0 24 कि0न0 5 ता 7 सालम,प0न0 76/104 मु0न0 25 कि0न0 1, 2, 9, 10 सालम, प0न0 84/105 मु0न0 48 कि0न0 22 ता 25 सालम प0न0 77/105 मु0न0 55 कि0न0 11 ता 25 सालम, प0न0 76/105 मु0न0 56 कि0न0 15, 16, 25 सालम प0न0 77/106 मु0न0 60 कि0न0 1, 2 सालम, प0न0 84/106 मु0न0 67 कि0न0 2 सालम कुल किता 39 कुल क्षेत्रफल 9.867 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता खाला नहरी आराजी में से वादीगण के पिता के नाम 0.683 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 23 केएसडी के खाता संख्या 37/34 के प0न0 76/105 मु0न0 56 कि0न0 14, 17, 24 सालम प0न0 76/106 मु0न0 59 कि0न0 4 ता 7, 14, 15 सालम कुल किता 9 कुल क्षेत्रफल 1.834 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

है। चक 23 केएसडी के खाता संख्या 41/39 के प0न0 84/105 मु0न0 48 कि0न0 19, 20, 21 सालम प0न0 77/106 मु0न0 60 कि0न0 9/1 में 0.101 हैक्टर कि0न0 10 सालम कि0न0 11 में 0.063 हैक्टर कि0न0 12 में 0.089 हैक्टर कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 1.265 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.338 है0 व वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1/1 सुखपाल कौर चारों के नाम 0.158 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 24 केएसडी के खाता सख्या 47/42 के प0न0 75/108 के मु0न0 12 के कि0न0 16, 17, 18 सालम कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.759 हैक्टर आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 23 केएसडी के खाता संख्या 36/35 के प0न0 77/106 मु0न0 60 कि0न0 8 सालम कुल क्षेत्रफल 0.253 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 22 केएसडी के खाता 80/76 प0न0 83/107 मु0न0 12 कि0न0 21 सालम, प0न0 84/108 मु0न0 28 कि0न0 3 ता 8 सालम 13 ता 18, 23 ता 25 सालम, प0न0 84/109 मु0न0 33 कि0न0 3, 4 सालम कुल क्षेत्रफल 4.554 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 0.506 हैक्टर आरजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 22 केएसडी के खाता संख्या 54/64 प0न0 76/106 मु0न0 1 कि0न0 15 में 0.012 हैक्टर कि0न0 16 सालम, प0न0 84/107 मु0न0 11 कि0न0 10 में 0.152 हैक्टर कि0न0 12, 19, 22, 24 सालम कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 1.429 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.461 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसो के नाम 0.715 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने प्रतिवादीगण से अपने नाम दर्ज उक्त आराजी का अन्य सहकाश्तकारान के साथ अर्सा पूर्व बंटवारा कर लिया था व तत्पश्चात आराजी वादी के हक व हिस्सा में आने पर बंटवारानूसार उक्त आराजी पर वादी काबिज काश्त चला रहा है वादीको मुताबिक बंटवारा अपने हक व हिस्सानुसार किला विशेष आराजी से प्राप्त हुई है:- वादी संख्या 1 को चक 24केएसडी के खाता संख्या 48/42में 0.759 हैक्टर व चक 23 केएसडी खाता संख्या 37/34 मु0न0 56 के कि0न0 17, 24 सालम दोनो चको की कुल 1.265 हैक्टर मुताबिक बटवारा प्राप्त हुइ है। जो कब्जा काशत में चली आ रही है। वादी संख्या 1 को 24 केएसडी के खाता संख्या 47/42 में 0.759 है0 व चक 23 केएसडी खाता संख्या 37/34 मु0न0 56 के कि0न0 17,24 सालम दोनो चको कुल 1.265 है0 मुताबिक बंटावारा प्राप्त हुई है जो कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादी संख्या 2 को चक 23केएसडी के खाता संख्या 37/34 के मु0न0 59 कि0न0 4 ता 7 सालम, 14/.025, 15/.038 में 1.075 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 5/15 में 0.683 हैक्टर आराजी में से 0.010 हैक्टर आराजी कुल 1.085 हैक्टर आराजी मुताबिक बटवारा प्राप्त हुई है जो कब्जा काशत चली आ रही है। वादी सं. 03 को चक 23 के एस डी के खाता सं. 36/35 मे मु नं. 60 मे किला नं. 8 सालम, इसी चक के खाता सं. 37/34 मे मु. नं. 56 मे किला नं. 14 सालम, कुल 0.506 है. नहरी आराजी मुताबिक बंटवारा मे प्राप्त हुई है जो कब्जा कास्त मे चली आ रही है। वादी सं. 4 को चक 23 के एस डी के खाता सं. 41/39 मे 0.496 है. व इसी चक के खाता सं. 5/15 मे 0.683 है. मे से 0.673 है. आराजी व चक 22 के एस डी के खाता सं. 54/64 मे 0.715 + 0.461 =1.176 है. व इसी चक के खाता सं. 80/76 मे 0.253 +0.253= 0.506 है. उक्त दोनो चको की कुल 2.851 है. नहरी आराजी मुताबिक बंटवारा प्राप्त हुई जो कि कब्जा कास्त मे चली आ रही है। आराजी राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बंटवारानुसार दर्ज रिकार्ड नही होने के कारण एवं सांझा खाता में दर्ज रिकार्ड रहने के कारण वादी को काफी परेशानियों पानी की बारी, रकम अदायगी, बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, एवं आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज रहने के कारण वादी अपने हक व हिस्सा की आराजी पर मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ व असहाय महसूस करता है जिस कारण वादीगणदावा की मंद संख्या 11 में दर्ज आराजी अपने हक व हिस्सा की कब्जा काश्त किला विशेष आराजी का खाता अलग कायम करवा कर घोषणा प्राप्त करने का हक व अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि वे लोग सहमति के आधार पर वादीवादी के हक व हिस्सा की आराजी का खाता अलग से कायम करवा देवें तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 03.08.2019 को स्पष्ट रूप से

अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

इन्कार हो गये बस यही बिनाये दावा है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा की जावे यह कि वादी संख्या 1 को चक 24केएसडी के खाता संख्या 47/42 में 0.759 हैक्टर सालम खाते का खातेदार कास्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिह प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन कियां जावे व चक 23 केएसडी खाता संख्या 37/34 मु0न0 56 के कि0न0 17, 24 सालम 0.506 है. इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरण सिंह का नाम कलमजन किया जावे एंव खाता अलग कायम किया जावे। इस आशय की घोषणा की जावे वादी संख्या 2 को चक 23 केएसडी के खाता संख्या 37/34 के मु0न0 59 कि0न0 4 ता 7 सालम, 14/.025, 15/.038 में 1.075 हैक्टर खातेदार कास्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिंह प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जावे व खाता अलग कायम किया जावे व इसी चक के खाता संख्या 5/15 में 0.683 हैक्टर आराजी में से 0.010 हैक्टर आराजी खातेदार कास्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिंह का नाम कलमजन कियां जावे। इस आशय की घोषणा की जावे वादी सं. 03 को चक 23 के एस डी के खाता सं. 36/35 मे मु.नं. 60 मे किला नं. 8 सालम खातेदार कास्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन क्रिया जावे व, इसी चक के खाता सं. 37/34 मे मु. नं. 56 मे किला नं. 14 सालम, नहरी आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिंह का नाम कलमजन किया जावे व इसी चक के खांता संख्या 37/34 मे मु.न.56 में किलर लं. 14 सालम, नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिंह का नाम कलमजन किया जावे व उपर्युक्त अनुसार खाता अलग कायम किया जावे। इस आशय की घोषणा की जावे कि वादी सं. 4 को चक 23 के एस डी के खाता सं. 41/39 मे 0.496 है. आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित कर 0.158 आराजी तक वादी सं. 1 ता 3 का नाम व 0.338 है. आराजी तक प्रतिवादी सं. 02 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जावे व इसी चक के खाता सं. 5/15 मे 0.683 है. मे से 0.673 है. आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिंह व प्रतिवादी सं. 02 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जावे व चक 22 के एस डी के खाता सं. 54/64 मे 0.715 + 0.461 =1.176 है. आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित कर 0.715 है. आराजी तक वादी सं. 1 ता 3 व 0.461 आराजी तक प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जावे व इसी चक के खाता सं. 80/76 मे 0.253 +0.253= 0.506 है. आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिंह व प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जावे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादाधीन आराजी दावा की मंद संख्या 11 में वर्णित आराजी में से वादीगण की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1, 2/1, 2/2 की ओर से श्रीमति कंचन सेतिया मुंजाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर ईकबालदावा पेश किया गया कि वादपत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार है। वादपत्र मुताबिक वादी अनुतोष स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादी में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

उभय पक्ष के अधिवक्तागंण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1/1, 2/1, 2/2 ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1, 2/1, 2/2 एक ही परिवार की सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा के नाम से दर्ज रिकार्ड है, वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि अपना हक व हिस्सा होने की हैसियत से घरूबंटवारा के आधार पर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1/1, 2/1, 2/2 द्वारा वादी के कथनो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

पर अपनी संहमति प्रकट करते हुए ईकबालदावा पेश किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1, 2/1, 2/2 ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, ईकबाल कथनो एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति मे वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 1 को चक 24केएसडी के खाता संख्या 47/42 में 0.759 हैक्टर सालम खाते का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिह प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जाता है एवं चक 23 केएसडी खाता संख्या 37/34 मु0न0 56 के कि0न0 17, 24 सालम 0.506 है. आराजी का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरण सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। वादी संख्या 2 को चक 23 केएसडी के खाता संख्या 37/34 के मु0न0 59 कि0न0 4 ता 7 सालम, 14/.025, 15/.038 में 1.075 हैक्टर एवं इसी चक के खाता संख्या 5/15 में 0.683 हैक्टर आराजी में से 0.010 हैक्टर आराजी खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिंह प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जाता है व खाता संख्या 5/15 से प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिंह का नाम कलमजन किया जाता है। वादी सं. 03 को चक 23 के एस डी के खाता सं. 36/35 मे मु.नं. 60 मे किला नं. 8 सालम व इसी चक के खाता सं. 37/34 मे मु. नं. 56 मे किला नं. 14 सालम. नहरी आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी सं.1 जसकरणसिंह व प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जावे व खाता संख्या 37/34 से प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिंह का नाम कलमजन किया जाता है। वादी सं. 4 को चक 23 के एस डी के खाता सं. 41/39 मे 0.496 है. आराजी का व इसी चक के खाता सं. 5/15 मे 0.683 है. मे से 0.673 है. आराजी खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं 0.158 आराजी तक वादी सं. 1 ता 3 का नाम व 0.338 है. आराजी तक प्रतिवादी सं. 02 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जाता है व व खाता संख्या 5/15 से प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिंह व प्रतिवादी सं. 02 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जाता है व वादी संख्या 4 को चक 22 के एस डी के खाता सं. 54/64 मे 0.715 + 0.461 = 1.176 है. आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं 0.715 है. आराजी तक वादी सं. 1 ता 3 व 0.461 आराजी तक प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिह का नाम कलमजन किया जाता है व वादी संख्या 4 को इसी चक के खाता सं. 80/76 मे 0.253 +0.253= 0.506 है. आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 जसकरणसिंह व प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिंह का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.1.20

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड सादुलशहर (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:02:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: